

## मूल वाद में डिक्ली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठारथीन अधिकारी:-साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या

दायरा दिनांक

निर्णय दिनांक

115/07

23.05.2007

20.12.2018

- 1 हरिनारायण पुत्र गणेश - मृतक
- 1/1 दीपचन्द पुत्र हरिनारायण
- 2 महावीर पुत्र बहराम
- 3 बिहारी पुत्र बहराम - मृतक
- 3/1 रामपाल पुत्र बिहारी
- 3/2 दयाराम पुत्र बिहारी
- 3/3 अशोक पुत्र बिहारी
- 3/4 सम्पतराम पुत्र बिहारी
- 3/5 चन्द्रोदेवी बेवा बिहारी
- 3/6 रामकला पुत्री बिहारी
- 4 ब्रह्मप्रकाश पुत्र मंगतलाल जाति अहीर निवासी सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज.

वादीगण

बनाम

1 कृपालसिंह पुत्र गौरसिंह

2 प्रितमसिंह पुत्र जागरसिंह जातियान रायसिख निवासी पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर

3 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज.

प्रतिवादीगण


दावा -ईशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी

वादीगण की ओर से श्री रणवीरसिंह यादव एडवोकेट एवं प्रतिवादी के ओर से श्री अशोक चौधरी द्वितीय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.12.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्ली दी जाती है कि-

वादीगण का वाद बरूवे राजीनामा डिक्ली किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0 1247/828 रकवा 0.66 हैक्ठो वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर में से 0.61 हैक्टेयर की हद तक हो रहे प्रतिवादीगण का नाम एवं गैरखातेदारी के अंकन को कलमजन किए जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त रकवे 0.61 हैक्टेयर का वादीगण को समभाग में खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्ली आज दिनांक 20.12.2018.2018 में मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(साधुराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक क्लर्क मुण्डावर